

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2146/2016/जयपुर
2. अपील संख्या 2147/2016/जयपुर
3. अपील संख्या 2148/2016/जयपुर

4. अपील संख्या 2149/2016/जयपुर
5. अपील संख्या 2150/2016/जयपुर
6. अपील संख्या 2151/2016/जयपुर

मैसर्स विपुल मोटर्स प्रा. लि.,  
श्याम नगर, अजमेर रोड जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत्त द्वितीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

7. अपील संख्या 2645/2016/जयपुर
8. अपील संख्या 2646/2016/जयपुर
9. अपील संख्या 2647/2016/जयपुर

10. अपील संख्या 2648/2016/जयपुर
11. अपील संख्या 2649/2016/जयपुर
12. अपील संख्या 2650/2016/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत्त द्वितीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विपुल मोटर्स प्रा० लि०,  
श्याम नगर, अजमेर रोड जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

**उपस्थित :**

व्यवसायी/डीलर की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से.

दिनांक : 07.09.2017

निर्णय

1. अपील संख्या 2146/2016, 2147/2016, 2148/2016, 2149/2016, 2150/2016 व 2151/2016 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 2645/2016, 2646/2016, 2647/2016, 2648/2016, 2649/2016 व 2650/2016 विभाग/राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 01.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग/राजस्व द्वारा भी अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई हैं, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

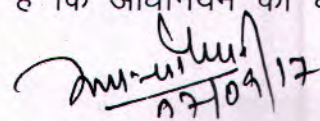
१५      07/09/17

लगातार.....2.



| अपील सं. | अपी.अधि. की अपी. सं.   | कर निर्धारण आदेश दिनांक | अपी अधि. के आदेश दि. | कर निर्धार वर्ष | विवादित कर | ब्याज    | शास्ति अन्तर्गत धारा 61 |
|----------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------|
| 2146/16  | 323/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 10-11           | 2,56,578   | 1,48,816 | -                       |
| 2147/16  | 324/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 11-12           | 3,23,648   | 1,48,878 | -                       |
| 2148/16  | 325/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 12-13           | 4,44,111   | 1,50,999 | -                       |
| 2149/16  | 326/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 13-14           | 4,75,269   | 1,04,560 | -                       |
| 2150/16  | 327/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 14-15           | 6,10,210   | 61,022   | -                       |
| 2151/16  | 328/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 15-16           | 1,13,958   | 4,560    | -                       |
| 2645/16  | 323/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 10-11           | -          | -        | 5,13,156                |
| 2646/16  | 324/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 11-12           | -          | -        | 6,47,296                |
| 2647/16  | 325/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 12-13           | -          | -        | 8,88,222                |
| 2648/16  | 326/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 13-14           | -          | -        | 9,50,538                |
| 2649/16  | 327/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 14-15           | -          | -        | 12,20,420               |
| 2650/16  | 328/अ.प्रा.-II/आरवीएटी | 31.08.2015              | 01.08.2016           | 15-16           | -          | -        | 2,27,916                |

- उक्त समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 09.06.2015 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यवहारी फर्म मारुति कार एवं उनके पार्टस व एसेसरीज की बिक्री करती है। व्यवहारी फर्म द्वारा आलोच्य अवधियों में कारों के विक्रय के समय लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि वेट इनवॉइस में वसूल की गयी। व्यवहारी द्वारा बिलों में वसूल की गयी लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि में से कुछ राशि पर ही वेट का भुगतान किया गया शेष लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि पर वेट का भुगतान नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शेष लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि जिस पर कि व्यवहारी द्वारा वेट का भुगतान नहीं किया गया, पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध व्यवहारियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्तियों को अपास्त करके अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2016 पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर व्यवहारी एवं विभाग की ओर से उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।
- व्यवसायी/डीलर को एवं उनके अधिवक्ता को उनकी ओर से प्रस्तुत व उनके विरुद्ध अपीलों में बार-बार आवाजे लगाई गयी किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। विभाग/राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एक तरफा बहस सुनी गई।
- यद्यपि व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। व्यवहारी का अपील में यह अभिवचन रहा है कि उसके द्वारा Logistic Charges की राशि वेट सहित इन्वोइन्स द्वारा वसूल की गयी है। जिससे उसने अपनी लेखापुस्तकों में दर्शित किया गया है तथा इनकी राशि पर देय वेट जमा कराया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कर की देयता निर्धारित करना विधि विरुद्ध है।
- राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलों के संबंध में यह कथन रहा है कि अधिनियम की धारा 2(36) में स्पष्ट प्रावधान है कि

लगातार.....3.



विक्रय के समय ली जाने वाली कोई भी राशि एवं वे सभी राशियाँ सम्मिलित हैं, जो माल की सुपुर्दगी के पूर्व या सुपुर्दगी के समय किसी भी तरह की सेवा जो उस माल के सम्बन्ध में दी गयी हो, सम्मिलित होगी साथ ही अधिनियम के अन्तर्गत कर के अलावा सभी statutory levy भी सम्मिलित होगी। उनका कथन है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यवहारी द्वारा "logistics charges" रूप में ली गयी राशि विक्रय मूल्य का भाग का अंश है, इसलिए उक्त राशि पर कर देय होने से आरोपित कर एवं ब्याज उचित है। उनका कथन है कि इसी तथ्य के आधार पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया है, जो पूर्णतः विधिक होने से इस बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा की गई अपीलें अस्वीकार योग्य हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

7. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों के संबंध में यह कथन रहा है कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अविधिक बताना कि विवादित ऐसे समस्त संव्यवहार उसके द्वारा संधारित नियमित लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किया हुआ है, उचित नहीं है। उनका कथन है कि व्यवहारी ने करवंचना की नीयत से ऐसे संव्यवहारों को अपने त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 में प्रदर्शित नहीं किया गया, जो उसकी दोषी एवं करापवंचन की मानसिकता को प्रमाणित करते हैं, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति विधिक रूप से आरोपित की गई है, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए इस बिन्दु पर विभाग द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।
8. राजस्व की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, साथ ही बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान अध्ययन किया गया।
9. उक्त प्रकरणों में विवादित बिन्दु यह है कि "क्या Logistic Charges विक्रय मूल्य का भाग है तथा Logistic Charges पर वैट देय है?" इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से माल की बिक्री के समय Logistic Charges के रूप में जो राशि वसूल की गयी है, जिसे विक्रय मूल्य का भाग नहीं बताकर उस पर कर जमा नहीं करवाया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि इन्चायसेज की छायाप्रतियों में Logistic Charges के नाम पर राशि ग्राहकों से वसूली की जाती है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि यह राशि ग्राहकों को मोटर वाहन उपलब्ध करवाने तथा समय पर आपूर्ति के लिये वसूल की जाती हैं। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट

लगातार.....4.

145

09/04/17



निष्कर्ष दिया गया है कि निश्चित रूप से ये खर्च माल की डिलेवरी पूर्व के हैं तथा ग्राहक के behalf पर नहीं किये जाते हैं। इस बिन्दु के निस्तारण हेतु विक्रय मूल्य की परिभाषा को उद्धरित करना समीचीन होगा:-

2(36)“sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but **inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof**, except the tax imposed under this Act;

**Explanation I.** – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

**Explanation II.** – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

**Explanation III.** – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

10. व्यवहारी द्वारा वसूल किये गये Logistic Charges, विक्रय मूल्य की परिभाषा के प्रथम भाग अनुसार विक्रय पूर्व किये गये खर्च होने के कारण ये विक्रय मूल्य का भाग है। वेट अधिनियम की उक्त धारा 2(36) के तृतीय स्पष्टीकरण में विक्रय के बाद के भाड़े की कीमत व परिवहन से सम्बन्धित अन्य खर्च जो क्रेता-विक्रेता के बीच संविदा की शर्तों अनुसार क्रेता के लिये (on behalf) किये जाने के कारण विक्रय मूल्य का भाग नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान प्रकरणों में Logistic charges विक्रय के बाद के परिवहन से सम्बन्धित खर्च नहीं है। इस प्रकार Logistic charges विक्रय मूल्य का भाग है। राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स मरुधरा मोटर्स, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्णय दिनांक 05.01.2015 (2015) 41 टीयूडी 2015 में भी यह अवधारित किया गया कि Logistic Charges विक्रय मूल्य का भाग है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा Logistic Charges को विक्रय मूल्य का भाग माना जाना पूर्णतः सही व विधिपूर्ण है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार व औचित्य नहीं है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शेष Logistic Charges की राशि जिसपर व्यवहारी द्वारा वेट का भुगतान नहीं किया गया है। उस पर कर देयता निर्धारित करना विधि सम्मत है। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 01.08.2016 पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी का Logistic Charges पर कर व ब्याज आरोपण यथावत रखने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.08.2016 की पुष्टि जाती है।

16

27/09/17

लगातार.....5.



11. शास्ति अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 2645/2016/जयपुर लगायत 2650/2016/जयपुर के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना समीचीन है :-

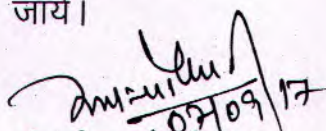
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

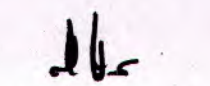
"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

12. राजस्व का ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि व्यवहारी ने बिक्री के संव्यवहारों को लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं किया हो तथा व्यवहारी द्वारा कोई प्रविष्टियां छिपायी गई हो। व्यवहारी द्वारा कर की दर को चुनौती दी गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 01.08.2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रोनिक्स व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त CTO V/s Shyam Agency (S.B. Sales Tax Revision No.42/2014) निर्णय दिनांक 26.08.2014 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में व्यवहारी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया। इस प्रकार जब व्यवहारी के बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तथा व्यवहारी द्वारा प्रविष्टियां छिपायी नहीं गयी है एवं व्यवहारी का दोष अन्यथा सिद्ध नहीं किया गया है तब उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने के निष्कर्ष से यह खण्डपीठ सहमत है। अतः शास्ति को अपास्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 01.08.2016 की पुष्टि की जाती है।

13. परिणामस्वरूप व्यवहारी एवं विभाग/राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 01.08.2016 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य

  
(वी.श्रीनिवास)  
अध्यक्ष